न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 07/2017

1. नवल कुमार पुत्र श्री हरदेव
2. श्रीमति शिमला पत्नी श्री हरदेव

दोनों जाति रेगर निवासीगण ग्राम आंकरोल (रामगढ) तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

बनाम

1. नानू पुत्र माना
2. धर्मा पुत्र हजारी
3. मिठू पुत्र लादू
4. मिश्री पुत्र माना

क्र0 संख्या 1 लगायत 4 सभी जाति रेगर एवं निवासीगण ग्राम आंकरोल (रामगढ) तहसील बिजयनगर

5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बिजयनगर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम आकरोल पटवार मंडल शिवनगर भू0 अ0 नि0 क्षेत्र रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 618/2 रक्बा 05 बिस्वा तथा 619 रक्बा 11-05 बीघा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां की भूमियां है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थीगण को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आकरोल की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 236 व 238 में क्रमशः ख0 न0 618/2 एवं 619 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि -

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम आकरोल स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 618/2 एवं 619 में मौका कमीश्नर रु 3000/- कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 11:42:34 IST
Reason: SelfAttested